Ministry of Labour

कार्य-समय और ओवरटाइम वेतन के बारे में कर्मचारियों के लिए सूचना

अस्वीकरण: कर्मचारियों और नियोजकों को रोजगार मानक अधिनियम, 2000 (the Employment Standards Act, 2000) (ESA) और विनियमों के तहत स्थापित न्यूनतम अधिकारों और दायित्वों को समझने में सहायता के लिए यह संसाधन तैयार किया गया है। यह क़ानूनी सलाह नहीं है। इसका अभिप्राय ESA या विनियमों को बदलना नहीं है और हमेशा क़ानून के आधिकारिक संस्करण का संदर्भ लिया जाना चाहिए। यद्यपि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि इस संसाधन में मौजूद जानकारी यथासंभव वर्तमान और सटीक हो, पर कभी-कभी त्रुटियाँ होती हैं। ESA केवल न्यूनतम मानक उपलब्ध कराता है। कुछ कर्मचारियों के पास रोजगार अनुबंध, सामूहिक समझौते, सामान्य क़ानून या अन्य विधान के तहत अधिक अधिकार हो सकते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी क़ानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

कार्य-समय और ओवरटाइम वेतन के बारे में ओंटारियो के ये सामान्य नियम हैं। रोजगार मानक अधिनियम, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) के तहत कुछ कर्मचारियों के लिए अपवाद और विशेष नियम मौजूद हैं। यह जानने के लिए कि क्या आपका व्यवसाय अथवा जिस उद्योग में आप काम करते हैं वो विशेष नियमों या छूट के अधीन है या नहीं, Ontario.ca/ESAtools पर उपलब्ध रोजगार मानकों के लिए विशेष नियम और छूट (Guide to Employment Standards Special Rules and Exemptions) देखें।

अपने ESA अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आपका नियोक्ता आपको डरा नहीं सकता, नौकरी से निकाल नहीं सकता, निलंबित नहीं कर सकता, आपका वेतन कम नहीं कर सकता, किसी भी तरह से दंडित नहीं कर सकता या इनमें से किसी कार्रवाई के लिए धमकी नहीं दे सकता है।

कार्य-समय

कार्य-समय की अधिकतम दैनिक और साप्ताहिक सीमाएँ निम्नतः हैं:

- 8 घंटे प्रति दिन (या आपके नियमित कार्य दिवस में घंटों की संख्या, यदि यह 8 से अधिक हो),
- 48 घंटे प्रति सप्ताह।

आराम की अवधि और खाने की अवधि

आपके नियोक्ता द्वारा आपको कम से कम इतना समय देना होगा:

Ontario

- हर दिन लगातार 11 घंटे काम से छुट्टी ("दिन" का मतलब 24-घंटे की अवधि है – यह कैलेंडर दिन नहीं है);
- शिफ़्ट के बीच 8 घंटे काम से छुट्टी (जब तक कि शिफ़्ट में काम करने का कुल समय 13 घंटे या कम न हो, या आप व आपके नियोक्ता ने अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप से सहमति जताई हो; और
- हरेक कार्य-सप्ताह में लगातार 24 घंटे काम से छुट्टी (या हर दो कार्य-सप्ताह में लगातार 48 घंटे की छुट्टी)।
- काम करने के पाँच घंटों में 30-मिनट खाने का समय भी मिलना चाहिए। आप इस खाने की अवधि को दो छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए अपने नियोक्ता से सहमत हो सकते हैं।

ओवरटाइम के लिए भुगतान

प्रति सप्ताह 44 घंटों से अधिक आपके काम के प्रत्येक घंटे के लिए, आपके नियोक्ता द्वारा आपको नियमित वेतन दर से कम से कम 1½ गुणा ("समय और आधा") आपको भुगतान किया जाना चाहिए। आप अपने काम के किसी भी अतिरिक्त समय के लिए प्रदत्त अवकाश प्राप्त करने के लिए अपने नियोक्ता के साथ समझौता भी कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा समझौता किया है, तो नियोक्ता को आपके द्वारा अतिरिक्त काम के प्रत्येक घंटे के लिए डेढ़ घंटे का प्रदत्त अवकाश प्रदान करना होगा।

काम के अधिक घंटे और ओवरटाइम को औसत करना

आपको अधिक समय तक काम नहीं करना होगा लेकिन अगर आप ऐसा करने का ***चयन*** करते हैं, तो आप अपने नियोक्ता के साथ निम्नतः सहमत हो सकते हैं:

- प्रति दिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करना (या आपके नियमित कार्य दिवस में घंटों की संख्या, अगर यह 8 से अधिक हो),
- प्रति सप्ताह 48 घंटे से ज़्यादा काम करना, और / या
- ओवरटाइम वेतन की गणना करते समय दो, तीन या चार सप्ताह में अपने काम के घंटों का औसत निकालें।

आप अपने लिखित समझौते में दर्शाए गए घंटों से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। यह भी कि आपके ओवरटाइम वेतन की गणना करते समय आपके काम के घंटो का चार सप्ताह से अधिक का औसत नहीं निकला जा सकता है – **चार सप्ताह अधिकतम है।**

आप अपने नियोक्ता को दो सप्ताह की लिखित सूचना देकर अतिरिक्त दैनिक या साप्ताहिक घंटे काम करने का समझौता रद्द कर सकते हैं। आपके नियोक्ता भी आपको उचित नोटिस देकर समझौता रद्द कर सकते हैं।

जिन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व संघ नहीं करता है उनके ओवरटाइम औसत अनुबंधों की आरम्भ तिथि और समाप्ति तिथि होनी चाहिए। अनुबंध आरम्भ तिथि से दो वर्षों से अधिक नहीं हो सकता है और जब तक आप और आपके नियोक्ता दोनों सहमत न हों इसे रद्द नहीं किया जा सकता।

आम तौर पर, यदि किसी संघ द्वारा आपका प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो आपका संघ आपकी ओर से आपके नियोक्ता से समझौता करेगा।

अधिक जानकारी के लिए या दावा दायर करने के लिए

यदि ESA के बारे में आपके कोई सवाल हों, तो श्रम मंत्रालय के रोजगार मानक सूचना केंद्र (Ministry of Labour's Employment Standards Information Centre) को 416-326-7160, टोल फ़्री नंबर 1-800-531-5551 पर, या TTY 1-866-567-8893 पर कॉल करें। जानकारी कई भाषाओं में उपलब्ध है।

कार्य-समय और ओवरटाइम वेतन के बारे में अधिक जानकारी *आपकी रोजगार मानक अधिनियम, 2000* (*Your Guide to the Employment Standards Act, 2000*) के लिए आपकी मार्गदर्शिका में देखी जा सकती है जो Ontario.ca/ESAguide पर उपलब्ध है। आप Ontario.ca/ESAtools पर उपलब्ध कार्य-समय (Hours of Work) और ओवरटाइम टूल (Overtime Tool) का भी उपयोग कर सकते हैं। दावा दायर करने के लिए, आप Ontario.ca/ESAforms पर रोजगार मानक दावा फ़ॉर्म (Employment Standards Claim Form) को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं।